

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 1974/आसाधा 13, 1896

No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 1974/ASADHA 13, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th July 1974

S.O. 418(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी० एंड क्यू०)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1974

नॉ० नि० 418 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-74 से 7-1-75 तक छद्म मास के लिए हरियाणा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

(1413)

S.O. 419(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8th July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां.नि० 419 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-74 से 7-1-75 तक छह मास के लिए राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 420(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8th July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां.नि० 420 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-7-74 से 7-1-75 तक छह मास के लिए वेस्ट बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 421(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17th July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां.नि० 421 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-7-74 से 20-1-75 तक छह मास के लिए बिहार से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 422(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23rd July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां.नि० 422 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-7-74 से 22-1-75 तक छह मास के लिए देहली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 423(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 423 (अ) — सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-7-74 से 24-1-75 तक छह मास के लिए केरला में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[संख्या एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 424(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31st July, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 424 (अ) — सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपयुक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31-7-74 से 30-1-75 तक छह मास के लिए मेघालय में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[संख्या एक० 9/28/69-बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

मी० जी० मोमिया, संयुक्त सचिव।

